

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-288/2012

संस्थित दिनांक- 23.07.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पिपरई
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. श्रीराम पुत्र लालाराम प्रजापति,
उम्र 39 साल, निवासी ग्राम देहरासा

2. राधे पुत्र लालाराम प्रजापति,फौत
उम्र 29 साल निवासी ग्राम देहरासा
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 11.10.2017 को घोषित)

01-अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 324/34, 506बी के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13.06.2012 को समय 10 बजे ग्राम देरासा में फरियादी के खेरा में उसे मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी प्रकाश का रास्ता रोककर उसे गतंव्य दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी का उपहति करने का सामान्य आशय का निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी प्रकाश को धारदार दातों से काटकर व मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।

02-प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त राधेलाल फौत हो चुका है।

03-अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.06.2012 को सुबह करीब 10:00 बजे फरियादी के छोटे भाई श्रीराम और राधे बांस काट रहे थे, फरियादी के बांस काटने के मना करने पर श्रीराम और राधे फरियादी को मां बहन की

अश्लील गालिया देने लगे जो उसे व आस पास के खडे लोगों को सुनने में बुरी लगी, प्रकाश जब जाने लगा तो श्रीराम और राधे ने रास्ता रोककर प्रकाश को लाठियों से मारने लगे, प्रकाश के के बाये आंख में चोट लगकर खून निकलने लगा ओर दहिनी बाख पर चोट होकर खूने निकलने लगा, राधे ने दातों से काट लिया। रामदयाल, रामवीर बगैरह ने प्रकाश को बचाया। राधे व श्रीरामने प्रकाश से कहा कि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी प्रकाश के द्वारा पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक-106/2012 अंतर्गत धारा-324, 341, 294, 323, 506बी, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04-अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

| | |
|----|---|
| 1. | क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.06.2012 को समय सुबह 10 बजे ग्राम देरासा में फरियादी प्रकाश के खेरा में प्रकाश को उपहति करने का सामान्य आशय का निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार दांतों से काटकर व मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ? |
| 2. | क्या उक्त दिनांक, समय व लोक स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ? |
| 3. | क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी प्रकाश का रास्ता रोककर उसे गतंव्य दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया ? |

| | |
|----|--|
| 4. | क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी प्रकाश को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया ? |
| 5. | दोष सिद्धि एवं दोष मुक्ति ? |

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में फरियादी प्रकाश प्रजापति (अ0सा0—1) सहित घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में रामवीर (अ0सा0—2) व रामदयाल (अ0सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं तथा साथ ही अपने समर्थन में अनुसंधानकर्ता अधिकारी आर0 एल0 वर्मा (अ0सा0—4) व चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ0सा0—5) के कथन भी न्यायालय में कराये गये हैं।
- 07— फरियादी प्रकाश प्रजापति का अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन के समर्थन में यह कहना है कि 1 साल पहले आषाढ के महीने में सुबह के समय वह जब खैरें में था, तो अभियुक्तगण वहां पर उसके खैरे में से बांस काट रहे थे, जिन्हें मना करने पर आरोपीगण उससे चैट गये और उसके दायें गाल पर अभियुक्त राधे ने काट लिया था। फरियादी प्रकाश प्रजापति का अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 5 में यह स्पष्ट कहना है कि जो कि बांस काटने के पीछे विवाद हुआ था, वो बांस शामिल के थे, परन्तु आरोपीगण उन बांसों को अपना कह रहे थे। फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 5 में यह भी स्पष्ट किया है कि दोनों आरोपीगण मौके पर बांस काट रहे थे।
- 08— फरियादी प्रकाश प्रजापति के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन कि घटना उसके खैरे में लगे बांसों को आरोपीगण के द्वारा काटने से रोकने पर घटित हुई थीं, उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित हैं तथा घटना घटित होने का कारण फरियादी के खैरें से आरोपीगण के द्वारा बांसों काटें जाने से रोकने पर हुई थीं, इस बात की पुष्टि स्वयं फरियादी प्रकाश प्रजापति (अ0सा0—1) के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 से भी होती है। अतः फरियादी

के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों के आधार पर इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है कि फरियादी के द्वारा खैरें से आरोपीगण को बांस काटने से रोकने पर मौके पर आरोपीगण से उसका विवाद हुआ था।

- 09— आरोपीगण ने फरियादी के साथ लाठियों से मारपीट की थी, इस संबंध में फरियादी ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन घटना के विरुद्ध कथन देते हुये मात्र अभियुक्त राधे के द्वारा घटना में उसे गाल में काटने से चोट आना बताया है तथा और कहीं भी कोई मारपीट आरोपीगण के द्वारा न किया जाना बताया गया है। घटना में आरोपीगण ने फरियादी के साथ लाठियों के साथ मारपीट की थी, इस संबंध में फरियादी के द्वारा मुख्यपरीक्षण में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा फरियादी को पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया, जिसमें फरियादी ने आरोपीगण के द्वारा की गई मारपीट के संबंध में यह स्वीकार किया है कि दोनों आरोपीगण ने लाठियों से उसके साथ मारपीट की थी जिसमें उसके बाईं आंख के उपर चोट आई थीं और उसने दोनों आरोपीगण के विरुद्ध मारपीट के संबंध में रिपोर्ट की थीं।
- 10— फरियादी प्रकाश प्रजापति (अ0सा0—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका 4 में यह कहता है कि दोनों आरोपीगण ने उसके साथ लाठी से मारपीट की थी, परन्तु पुनः यह साक्षी अपने उपरोक्त कथनों से पलटते हुये यह कहता है कि राधे लाल ने ही उसे गाल में काटा था और राधे लाल ने ही उसे लाठी से भी मारा था तथा अभियुक्त श्रीराम ने उसे लाठी नहीं मारी थीं। फरियादी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में यह स्पष्ट रूप से कहता है कि उसके बांस दोनों आरोपीगण काट रहे थे और दोनों आरोपीगण ने उसे गिरा दिया था।
- 11— प्रकाश प्रजापति (अ0सा0—1) के द्वारा दिये गये न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों के अनुसार दोनों अभियुक्तगण मौके पर उसके बांस काट रहे थे तथा दोनों अभियुक्त ने उससे विवाद किया था, परन्तु उक्त विवाद में अभियुक्त श्रीराम ने उसके साथ लाठी से कोई मारपीट नहीं की और न ही उसके गाल में काटा था, परन्तु फरियादी प्रकाश प्रजापति (अ0सा0—1) का यह स्पष्ट कहना है कि अभियुक्त राधे ने घटना में उसके गाल में काटा था तथा उसके साथ लाठी से भी मारपीट की थी, जिसमें उसके बाये आंख के उपर चोट आई थीं। अतः अभियुक्त श्रीराम ने फरियादी के साथ घटना में लाठी से मारपीट की थी अथवा नहीं, इस संबंध में तो फरियादी के कथनों में विरोधाभास देखा जा सकता है परन्तु घटना आरोपीगण के द्वारा उसके बांस काटने के विवाद पर

हुई थीं और घटना के समय दोनों आरोपीगण मौके पर उपस्थित थे और दोनों ने विवाद किया था, जिनमें से अभियुक्त राधेलाल ने फरियादी के गाल में काटा था और उसके साथ लाठी से भी मारपीट की थीं इस संबंध में फरियादी प्रकाश प्रजापति (अ0सा0-1) की साक्ष्य अकाट्य व अखण्डित हैं, जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 से भी होती है।

- 12- घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 के अनुसार दिनांक 13.06.12 को सुबह 10:00 बजे की है, जिसके तत्काल बाद 11:35 बजे थाने पर उसकी सूचना फरियादी के द्वारा दी गई और उसके बाद फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श-पी-10 प्रकरण में संलग्न है, जो कि रिपोर्ट के अनुसार उसी दिनांक को 11:50 बजे किया गया। अतः फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण घटना के 2 घण्टे के अंदर ही डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ0सा0-5) के द्वारा किया गया। डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ0सा0-5) ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि आहत प्रकाश का दिनांक 13.06.2012 को उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, तो उस परीक्षण में फरियादी के माथे पर 2 गुणित 0.5 सेमी0 का एक फटा हुआ, घाव तथा दाहिने कंधे के पीछे खरोंच का निशान व दाये गाल के नीलचे भाग पर मानव दांत के काटने के निशान उनके द्वारा पाये गये थे जो कि परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर के थे।
- 13- डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ0सा0-5) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि उनके तैयार की गई चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श-पी-10 से भी होती है तथा डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ0सा0-5) के न्यायालीन कथन एवं रिपोर्ट प्रदर्श-पी-10 से फरियादी के कथनों की पुष्टि होती है कि जब उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने पर की गई, तो उसके दाये गाल पर दांतों से काटने का निशान व माथे पर फटा हुआ घाव की चोट थीं, जो कि फरियादी के अनुसार अभियुक्त राधेलाल के द्वारा कारित की गई थी। दाये गाल पर दांतों के निशान की चोट एवं माथे पर फटे हुये घाव की चोट स्वःकारित होने की कोई संभावना नहीं है तथा फरियादी प्रकाश प्रजापति के न्यायालय में दिये गये कथन इस संबंध में अखण्डित है कि बांस काटने से रोकने पर अभियुक्त राधेलाल के द्वारा उक्त उपहति उसे कारित की गई थीं तथा उस समय मौके पर अभियुक्त श्रीराम भी उपस्थित था, जिससे भी उसका विवाद हुआ था।
- 14- फरियादी प्रकाश प्रजापति (अ0सा0-1) के द्वारा अभियुक्त श्रीराम के संबंध में अभियोजन इस बात पर समर्थन नहीं किया गया कि अभियुक्त श्रीराम ने उसके

साथ लाठी से मारपीट कर उपहति कारित की थीं, परन्तु प्रकाश प्रजापति (अ0सा0-1) के कथन इस संबंध में अखण्डित है कि अभियुक्त राधेलाल के साथ मौके पर अभियुक्त श्रीराम भी उपस्थित था, जिसने फरियादी के साथ विवाद किया था और उसे पटक भी दिया था। अतः स्पष्ट है कि भले ही अभियुक्त श्रीराम के द्वारा अभियुक्त प्रकाश प्रजापति को दांतों से काटने या लाठी से मारपीट कर उपहति कारित करने के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है परन्तु अभियुक्त राधेलाल के द्वारा फरियादी को दाये गाल पर दांतों से काटा गया और लाठी से मारपीट कर उपहति कारित की गई और इस घटना के समय मौके पर अभियुक्त श्रीराम भी उपस्थित था और वो भी बांस काट रहा था, इस आशय की स्पष्ट व अखण्डित साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है।

15- घटना के दौरान अभियुक्त राधेलाल के विवाद एवं उपहति कारित करने पर से अभियुक्त श्रीराम ने राधेलाल को मना किया हो या वह मौके से चला गया ऐसी कोई प्रतिरक्षा बचावपक्ष की नहीं है। संपूर्ण घटना के दौरान अभियुक्त श्रीराम की मौके पर उपस्थिति एवं अभियुक्त राधेलाल के साथ मिलकर बांस काटने पर से उनका फरियादी के साथ मौके पर विवाद होना और उस विवाद में राधेलाल के द्वारा फरियादी को दाये गाल पर काटना ओर लाठी से बाये आंख की उपर उपहति कारित करना इस बात का घोटक है कि अभियुक्त राधेलाल के द्वारा फरियादी प्रकाश प्रजापति (अ0सा0-1) को जो भी उपहति कारित की गई, उसमें अभियुक्त श्रीराम की सहमति थीं तथा दोनों अभियुक्तगण का ही यह सामान्य आशय था, कि फरियादी को घटना में उपहति कारित की जावें। निश्चित रूप से दांतों से काटने की घटना मौके पर अचानक घटित हो सकती है कि जिसको कारित करने का अभियुक्तगण के बीच सामान्य आशय भले ही न हो परन्तु अन्य उपहति जो फरियादी को कारित हुई है उसे कारित करने का अभियुक्तगण के मध्य सामान्य आशय था, इस पर अविश्वास करने का अभिलेख पर कोई कारण दर्शित नहीं होता है।

16- घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रामवीर (अ0सा0-2) व रामदयाल (अ0सा0-3) ने निश्चित रूप से अपने कथनों में अभियोजन घटना के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये हैं तथा अभियोजन के द्वारा इन साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित किया गया है जिसके बाद अभिलेख पर प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में एक मात्र फरियादी प्रकाश प्रजापति की साक्ष्य शेष है, जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि किसी घटना को साबित करने के लिये साक्षियों की संख्या की अपेक्षा साक्ष्य

गुणवत्ता देखी जाती है।

- 17— माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **SHAKEEL AHMAD VS STATE OF DEHLI [2004] 10 SCC 103** में दिये गये निष्कर्ष यह सुस्थापित है कि दांत भा0द0वि0 की धारा 324 अथवा 326 में वर्णित उपकरण की श्रेणी में नहीं आते हैं। यदि यह मान भी लिया जाये कि दांतों से काट कर उपहति कारित करने का भी सामान्य आशय अभियुक्तगण के मध्य था जिससे फरियादी को गाल पर साधारण उपहति कारित हुई तो उक्त कृत्य की भा0द0वि0 की धारा 324 की परिधि में न आकर भा0द0वि0 की धारा 323 की परिधि में आयेगा। फरियादी प्रकाश प्रजापति (अ0सा0-1) के द्वारा दी गई साक्ष्य के आधार पर एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरफ से सफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण के द्वारा शामिलती बांस काटने से फरियादी के रोकने पर उनका विवाद फरियादी के साथ हुआ था जिसमें अभियुक्त राधेलाल ने फरियादी को दाहिने गाल में दांतों से काट कर एवं माथे पर लाठी मारकर उपहति कारित की थीं और चूंकि फरियादी को लाठी से मारपीट कर कारित की गई उपरोक्त उपहति सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त राधेलाल के द्वारा कारित की गई थीं, जिसके लिये अभियुक्त श्रीराम भी दायी है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4 व 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

- 18— फरियादी प्रकाश प्रजापति (अ0सा0-1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये कि आरोपीगण ने उसे मां बहन की गालिया दी या उसे किसी विशेष दिशा में जाने से रोका एवं जान से मारने की धमकी दी। वहीं अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी होने के बाद किये गये परीक्षण में भले ही प्रकाश प्रजापति (अ0सा0-1) ने यह स्वीकार किया हो कि अभियुक्तगण ने झगड़े में उसे मादर चोद बहन चोद की बुरी बुरी गालिया दी थी जो उसे सुनने में बुरी लगी थी, परन्तु इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह कहना है कि गालियां उसे किसने दी थी वह नहीं बता सकता हैं।
- 19— अतः फरियादी प्रकाश प्रजापति के कथन इस संबंध में स्पष्ट नहीं है कि उसे किस अभियुक्त ने कौन सी गालिया दी थीं। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी आर0 एल0 वर्मा (अ0सा0-4) के द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श-पी-2 बनाया गया है, जिसमें घटना स्थल खेत में होना दर्शाया गया हैं तथा फरियादी का भी यही

कहना है कि विवाद खेत में हुआ था। अतः यह स्पष्ट है कि घटना स्थल लोक स्थान नहीं है और न ही ऐसा स्थान है जिसके पास से लोगों का अवागमन होता हो। भा0द0वि0 की धारा 294 के अपराध के लिये घटना स्थल लोक स्थान होना आवश्यक है जो कि अभिलेख पर आई साक्ष्य साबित नहीं होता है और न यह साबित होता है कि वास्तव में अभियुक्त श्रीराम ने फरियादी को कोई गालिया दी थी भी अथवा नहीं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294 का आरोप साबित नहीं होता है। फरियादी प्रकाश प्रजापति (अ0सा0-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में ही यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्तगण ने उसका रास्ता नहीं रोका था और न ही यह बात उसने पुलिस को बताई थी। अभियुक्तगण के द्वारा जान से मारने की धमकी फरियादी को दी गई, इस संबंध में फरियादी ने कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं। अतः साक्ष्य के अभाव में यह भी साबित नहीं होता है कि अभियुक्त श्रीराम ने किसी विशेष दिशा में फरियादी को जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया था एवं संत्रांश कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी थी। जिससे उपरोक्त आधार पर अभियुक्त श्रीराम के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 506बी के आरोप भी प्रमाणित नहीं होते हैं।

20— फल स्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर भले ही अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ कि दिनांक 13.06.2012 को समय 10:00 बजे ग्राम देरासा में अभियुक्तगण ने फरियादी के खेरा में प्रकाश प्रजापति को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी प्रकाश का रास्ता रोककर उसे गतंव्य दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राण कारित किया परन्तु अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त श्रीराम ने अभियुक्त राधेलाल के साथ मिलकर फरियादी प्रकाश प्रजापति को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया था और उक्त आशय के अग्रसरण में अभियुक्त राधेलाल ने फरियादी को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की और कृत्य के लिये अभियुक्त श्रीराम भी दायी हैं।

21— फलतः अभियुक्त श्रीराम के विरुद्ध फरियादी प्रकाश प्रजापति को कारित हुयी उपहति के संबंध में भा0द0वि0 की धारा 323/34 के आरोप प्रमाणित होने से उसे भा0द0वि0 की धारा 323/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष

सिद्ध घोषित किया जाता है। वहीं अभियुक्त श्रीराम के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 506 बी के आरोप साबित न होने से अभियुक्त श्रीराम को भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 506 बी के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

22— अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

23— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्त प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया।

24— प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्त व फरियादी आपस में सगे भाई हैं दोनों के मध्य मामूली बांस काटने पर से विवाद हुआ है, फरियादी को किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट घटना में नहीं आई है। अभियुक्त को पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त श्रीराम को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित कर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

25- अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्त श्रीराम को भा0दं0वि0 की धारा 323/34 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000/- रुपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 3 दिवस (तीन दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।

26-अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)